न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–22 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नारणाराम पुत्र दलाराम उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासी पूंका भगतसिंह तहसोल सिणधरी जिला बाड़मेर		1. अमराराम पुत्र तुलछाराम उम्र 25 वर्ष 2. कानूदेवी पत्नि तुलछाराम उम्र 60 वर्ष 3. जोगाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 40 वर्ष 4. लुम्बाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 35 वर्ष 5. लाखाराम पुत्र चेनाराम उम्र 72 वर्ष 6. चूनीदेवी पत्नि दलाराम उम्र 70 वर्ष जातियान जाट निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.विप्रार्थी सं. 7 के पैरो. सरकार एप. शेष विप्रार्थीगण–एकतरफा–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– [illegible]2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 646 / 1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 6 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नारणाराम पुत्र दलाराम के स्थान [illegible] खेतों में हल्का पटवारी की भूलवंश से नारायणराम पुत्र दलाराम गलत नाम दर्ज हो रखा

2. प्रार्थी की ... किया गया। विप्रार्थीगण ... कार्यवाही ... हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही ... जांच रिपोर्ट तहसीलदार ... मे वास्तविक स्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ... वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराया ... वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की खसरा संख्या 646/1 रकबा ...

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने ... किया कि मौजा भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की ... विप्रार्थी संख्या 01 से 6 रिकार्डड सहखातेदार ... हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या ... से विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक ... प्रार्थी का वास्तविक नाम हल्का पटवारी की मूलवंश ... हो रखा है। जिसके कारण प्रार्थी को ... नारणाराम के स्थान पर नारायणराम गलत प्रविष्टि हो रखा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित ... योजनाओ का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ... नारणाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ... भूमि में इन्द्राज नारायणराम के स्थान पर नारणाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें। ... की इस्तदुआ के सन्दर्भ में हल्का पटवारी भू.अ.नि. से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का गलत रूप से इन्द्राज नाम नारायणराम के स्थान पर नारणा दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 646/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम नारायणराम पुत्र दलाराम इन्द्राज है, पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति,राशन कार्ड की प्रति तथा राजस्थान सहकारी किसान कार्ड शाखा भूंका की पासबुक प्रति, जनआधार व पैनकार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम नारणाराम पुत्र दलाराम अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम नारायणराम पुत्र दलाराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नारणाराम पुत्र दलाराम है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में नारायणराम के स्थान पर नारणाराम दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 646/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि नारायणराम पुत्र दलाराम के स्थान पर नारणाराम पुत्र दलाराम दर्ज (दुरूस्त) करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। प्रति तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।